

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

ALL INDIA INSTITUTE OF AYURVEDA (AIIA)

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान)

(An Autonomous Organization under the Ministry of AYUSH, Govt. of India)

संख्या- ई-11011/6/2023-AIIA/2605-2613

दिनांक:- 12/09/2025

परिपत्र

विषय: अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली एवं उप-केंद्र, गोवा में हिंदी पखवाड़ा 2025 के दौरान आयोजित की जाने वाली श्रेणीवार हिन्दी प्रतियोगिताएं।

सरकारी कामकाज हिंदी भाषा के माध्यम से करने के प्रति जागरूकता तथा हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में हिंदी पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया जाएगा। हिन्दी पखवाड़े का शुभारंभ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार माननीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में महात्मा कन्वेन्शन एवं एग्जीबिशन सेंटर गांधी नगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा।

हिन्दी पखवाड़ा 2025 के दौरान राजभाषा हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन हेतु एआईआईए, नई दिल्ली एवं उप-केंद्र, गोवा में विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली एवं उप-केंद्र, गोवा के समस्त अधिकारी/कर्मचारी (स्थायी एवं अस्थायी) भाग ले सकते एवं अधिसंख्य संकाय सदस्यों/कर्मिकों (स्थायी/अस्थायी) के सहभाग को सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन निम्नलिखित वर्गों व श्रेणियों में किया जा रहा है:

- संकाय श्रेणी (हिन्दी भाषी वर्ग एवं अन्य भाषा-भाषी वर्ग)
- गैर-संकाय श्रेणी (हिन्दी भाषी वर्ग एवं अन्य भाषा-भाषी वर्ग)

सभी प्रतियोगिताओं में दोनों संस्थानों (नई दिल्ली व सेटेलाइट केंद्र, गोवा) के विजेताओं को पृथक-पृथक रूप से निम्नानुसार पुरस्कार वितरित किए जाएंगे:-

- प्रथम पुरस्कार = 2500/- रुपए
- द्वितीय पुरस्कार = 2000/- रुपए
- तृतीय पुरस्कार = 1500/- रुपए
- प्रोत्साहन पुरस्कार = $1000 \times 2 = 2000/-$ रुपए

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

ALL INDIA INSTITUTE OF AYURVEDA (AIIA)

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान)

(An Autonomous Organization under the Ministry of AYUSH, Govt. of India)

पखवाड़े का समापन दिनांक 27 सितम्बर 2025 को होगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली में तथा उप-केंद्र, गोवा में हिन्दी पखवाड़ा 2025 के दौरान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी:

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली में हिन्दी पखवाड़ा 2025 के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं			
आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं/कार्यशाला	दिनांक	समय	आयोजन स्थल
मसौदा/टिप्पण लेखन प्रतियोगिता	16.09.2025 (मंगलवार)	सांय 03:30 बजे	प्रशासनिक ब्लॉक
अनुवाद प्रतियोगिता	17.09.2025 (बुधवार)	सांय 03:30 बजे	
चित्र पर आधारित कहानी लेखन प्रतियोगिता	18.09.2025 (बृहस्पतिवार)	सांय 03:30 बजे	
एक पूर्ण दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन	19.09.2025 (शुक्रवार)	प्रातः 10 बजे से सांय 05:00 बजे	

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, उप-केंद्र, गोवा में हिन्दी पखवाड़ा 2025 के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं			
आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं/कार्यशाला	दिनांक	समय	आयोजन स्थल
एक पूर्ण दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन	20.09.2025 (शनिवार)	प्रातः 10 बजे से सांय 05:00 बजे	सुविधानुसार
मसौदा/टिप्पण लेखन प्रतियोगिता	24.09.2025 (बुधवार)		
अनुवाद प्रतियोगिता	25.09.2025 (बृहस्पतिवार)		
चित्र पर आधारित कहानी लेखन प्रतियोगिता	26.09.2025 (शुक्रवार)		

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

ALL INDIA INSTITUTE OF AYURVEDA (AIIA)

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान)

(An Autonomous Organization under the Ministry of AYUSH, Govt. of India)

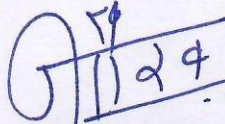
नोट:

- 1) सभी प्रतियोगिताओं में कम से कम 5 प्रतिभागियों का भाग लेना अनिवार्य है।
- 2) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम 2 प्रतियोगिताओं में ही पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- 3) सभी प्रतियोगिताओं में गूगल फॉर्म के माध्यम से नामांकन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4) कार्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन प्रशासनिक स्थायी उप-समिति के माननीय सदस्यगण तथा प्रतियोगिता का आयोजन/प्रश्न पत्र तैयार करने वाले/उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 5) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कार्यशाला में भाग लेने के लिए कर्मिकों को नामित किया जाएगा। कृपया सभी नामित अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय से 10 मिनट पहले अर्थात् प्रातः 09.50 बजे अपना स्थान अवश्य ग्रहण कर लें ताकि कार्यशाला समय पर प्रारम्भ की जा सके।

सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अपना पंजीकरण गूगल फॉर्म के माध्यम से तुरंत कराने का श्रम करें, जिससे सुविधानुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सके। समस्त विभागाध्यक्षों/प्रभारी/अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग एवं अधीनस्थ कर्मिकों में हिन्दी पखवाड़े से जुड़ी सूचनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार करें तथा कर्मिकों को हिन्दी प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें तथा स्वयं भी प्रतियोगिताओं में सहभाग करें।

हिन्दी पखवाड़ा 2025 की विभिन्न प्रतियोगिताओं में नामांकन हेतु गूगल फॉर्म लिंक:-
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली:- <https://forms.gle/sXtmKW2dDHrXg5zaA>.
ए.आई.आई.ए सेंटेलाइट केंद्र, गोवा:- <https://forms.gle/V7HiRubNZGGnxZhE9>

यह पत्र निदेशक महोदया के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(हिन्दी अधिकारी)

निम्नलिखित को प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:

1. निदेशक, सचिवालय
2. डीन (पीएचडी), सचिवालय
3. डीन (पीजी), सचिवालय

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

ALL INDIA INSTITUTE OF AYURVEDA (AIIA)

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान)

(An Autonomous Organization under the Ministry of AYUSH, Govt. of India)

4. डीन, अकादमिक एवं प्रशासन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान उप-केंद्र, गोवा को इस अनुरोध के साथ कि वे हिन्दी पखवाड़े से जुड़ी सूचनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार तथा सभी कार्मिकों को हिन्दी प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हुए प्रोत्साहित करें एवं दिनांक 20.09.2025 को आयोजित की जाने वाली पूर्ण दिवसीय हिन्दी कार्यशाला के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का श्रम करें। साथ ही, संस्थान से 10 कार्मिकों को कार्यशाला में भाग लेने हेतु नामित करें। कार्यशाला के दौरान आई-टी, जलपान एवं आवश्यक स्टेशनरी की व्यवस्था करने हेतु संबन्धित अधिकारी को निदेश देने का श्रम करें।
5. सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी (अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली एवं उप-केंद्र, गोवा)
6. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार वे हिन्दी पखवाड़ा 2025 से संबन्धित सूचना कार्यालय की वेबसाइट तथा e-office में अपलोड करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करें।
7. स्टोर विभाग से अनुरोध है कि हिन्दी पखवाड़ा 2025 एवं हिन्दी कार्यशाला से संबन्धित स्टेशनरी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. जनसम्पर्क विभाग से अनुरोध है कि हिन्दी पखवाड़ा 2025 से संबन्धित ppt slides तथा फोटोग्राफी संबंधी सभी कार्य करने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करें।
9. गार्ड फाईल
10. नोटिस बोर्ड

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

ALL INDIA INSTITUTE OF AYURVEDA (AIIA)

संख्या- ई-11011/6/2023-AIIA/2598-2604

दिनांक: 12/09/2025

परिपत्र

विषय: अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार प्रतियोगिता।

राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों वित्तीय संस्थाओं आदि द्वारा राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार के लिए 14 सितम्बर से हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन करने हेतु दिशा निर्देश दिये जाते हैं, जिसके अनुपालन में सरकारी कामकाज हिन्दी भाषा के माध्यम से करने के प्रति जागरूकता तथा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा 2025 का आयोजन दिनांक 14 सितम्बर से 27 सितम्बर 2025 तक किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा-2025 के अंतर्गत दिनांक 14 सितम्बर से 25 सितम्बर 2025 के दौरान राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु “श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार प्रतियोगिता” लागू की जाती है।

2. हिन्दी पखवाड़ा 2025 के दौरान हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन हेतु विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। हिन्दी पखवाड़ा 2025 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली एवं सेटेलाइट केंद्र, गोवा में पृथक् रूप से दिनांक 14 सितम्बर से 25 सितम्बर 2025 को आयोजित की जाएंगी।

कार्यालयीन कार्यों में सबसे अधिक राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने वाले दो विभागों को उपरोक्त पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हिन्दी पखवाड़ा के समापन समारोह में इन पुरस्कारों के अंतर्गत शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता	
इस पुरस्कार प्रतियोगिता के अंतर्गत पात्रता की न्यूनतम अर्हताएं (eligibility)	- संबन्धित विभाग को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी दस्तावेजों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी अनिवार्य है, अर्थात् विभाग द्वारा 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए। जो विभाग इसका उल्लंघन करेगा, उसे पुरस्कार से वंचित रखा जाएगा। - संबन्धित विभाग को राजभाषा नियम-5 के अंतर्गत जारी दस्तावेजों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी अनिवार्य है।
मूल्यांकन पद्धति	दिनांक 14 सितम्बर से 25 सितम्बर 2025 की अवधि के दौरान जो भी विभाग सर्वाधिक हिन्दी टिप्पण एवं मूल पत्राचार के प्रतिशत को प्राप्त करेगा वे इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। उक्त पुरस्कार दो श्रेणियों यथा “हिन्दी टिप्पण” तथा “मूल पत्राचार” श्रेणी में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार विजेता विभाग के विभागाध्यक्ष को एक स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छुक विभागों को कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में सबसे अधिक राजभाषा हिन्दी के प्रयोग का विवरण संलग्न किए जा रहे प्रारूप में भर कर दिनांक 25/09/2025 तक राजभाषा विभाग में जमा करना होगा। संबन्धित विभागों द्वारा राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराए गए पूर्ण रूप से भरे हुये प्रारूपों पर ही पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली एवं सेटेलाइट केंद्र, गोवा से संबन्धित मूल्यांकन का कार्य पृथक रूप से नामित की गयी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

समस्त विभागाध्यक्षों/प्रभारियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रतियोगिता में सहभाग करें।

यह पत्र निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

99
11/24
(हिन्दी अधिकारी)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:

1. निदेशक, सचिवालय
2. डीन (पीएचडी), सचिवालय
3. डीन (पीजी), सचिवालय
4. डीन, अकादमिक एवं प्रशासन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान उप-केंद्र, गोवा को इस अनुरोध के साथ कि वे "श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता" में सभी विभागों को भाग लेने हेतु निदेश देने का श्रम करें एवं उपरोक्त प्रतियोगिता के मूल्यांकन हेतु समिति का गठन करें एवं समिति की सिफारिश के अनुसार विजेता विभाग का विवरण सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।
5. सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी (अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली एवं उप-केंद्र, गोवा)
6. गार्ड फाईल
7. नोटिस बोर्ड

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF AYURVEDA (AIIA)

अनुलग्नक

**हिन्दी पखवाड़ा 2025 के दौरान दिनांक 14 सितम्बर से 25 सितम्बर 2025 तक
श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता हेतु फार्म**

विभाग का नाम: _____

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी दस्तावेज

- (क) जारी दस्तावेज की कुल संख्या _____
- (ख) द्विभाषी रूप में जारी किए गए दस्तावेज की संख्या _____
- (ग) केवल अंग्रेजी में जारी किए गए दस्तावेज _____
- (घ) केवल हिंदी में जारी किए गए दस्तावेज _____

(संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र, द्विभाषिक रूप में (अंग्रेजी और हिंदी) में जारी)

2. हिंदी में प्राप्त पत्र (नियम-5)

- (क) हिंदी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या _____
- (ख) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे _____
- (ग) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी/द्विभाषी में दिए गए _____
- (घ) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए _____

3. मूल रूप से भेजे गए पत्रों/पत्राचार का ब्यौरा:

	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
	1	2	3	4
'क' क्षेत्र को				
'ख' क्षेत्र को				
'ग' क्षेत्र को				

4.

फाइलों/आवतियों/ई-ऑफिस पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा*

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या
अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या
टिप्पणियों के पृष्ठों की कुल संख्या
ई-ऑफिस के माध्यम से भेजी गई टिप्पणियों की संख्या

(*हिंदी में टिप्पण-पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा पृष्ठ तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझ जाए।)
(**मद संख्या 2 व 3 के संबंध में हिंदी में भेजे गए तथा प्राप्त आधिकारिक ई-मेल को भी शामिल किया जाए।)

प्रमाण - पत्र

“मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि संलग्न प्रगति रिपोर्ट में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस विभाग को उपरोक्त पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में भी लाया जाएगा।”

(मोहर सहित हस्ताक्षर)

विभागाध्यक्ष/विभाग प्रभारी का नाम

पदनाम -

विभाग का नाम -

ई-मेल का पता:

तिथि:

स्थान :